



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112025-267698
CG-DL-E-15112025-267698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5018]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2025/कार्तिक 23, 1947

No. 5018]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025/KARTIKA 23, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

का.आ. 5187(अ).— केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3386(अ) तारीख 21 जुलाई, 2025, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 24 जुलाई, 2025, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में झारखण्ड राज्य के बोकारो जिले में कोल बेड मिथेन गैस के परिवहन के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 08 अगस्त 2025, तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्र सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्र सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाईपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्र सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

(PO#06 से JH#04 तक)

राज्य : झारखंड

जिला	अंचल/तहसील	मौजा का नाम एवं थाना सं.	खेसरा सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
बोकारो	चन्दनकियारी	सिलफोर 211	1161	00	01	80
			1160	00	02	25
			1156	00	05	85
			1157	00	01	50
			1139	00	06	45
			1140	00	01	50
			1141	00	04	95
			1516	00	01	65
			1515	00	08	25
			1514	00	00	25
			1542	00	00	50

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/30/2025-इएक्सपीएल-पीएनजी(ई-53519)]

सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2025

S.O. 5187(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 3386 (E) Dated 21/07/2025 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated 24/07/2025 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from (PO#06 to JH#04) District Bokaro should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to dated 08 August 2025.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

(PO#06 to JH#04)

State: Jharkhand

District	Anchal/Tehsil	Name of the Mouza and Thana No.	Khasra No.	Area		
				Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6	7
Bokaro	Chandankiyari	Silphore -211	1161	00	01	80
			1160	00	02	25
			1156	00	05	85
			1157	00	01	50
			1139	00	06	45
			1140	00	01	50
			1141	00	04	95
			1516	00	01	65
			1515	00	08	25
			1514	00	00	25
			1542	00	00	50

[F. No. Expl-13011(26)/30/2025-EXPL-PNG (E-53519)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.